अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या-211/2012

नारायण खाँ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

जगत नारायण ठाकुर एवं अन्य.....विपक्षीगण

आदेश

30.08.2014

यह अपीलवाद, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सहरसा के अभिलेख संख्या 30/2012 में दिनांक 11.06.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इसमें विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

मौजा-बनगाँव, थाना नं0-137, खाता संख्या-753, खेसरा संख्या-9523, रकवा-15 धूर।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान यह स्पष्ट किये कि प्रश्नगत खाता एवं प्लॉट में भूमि पर 05 धूर 05 धूरकी तथा 06 धूर 15 धूरकी कुल 12 धूर भूमि में उनका मकान बना हुआ है। निम्नलिखित विवरणी के अनुसार अपीलार्थी का भूमि क्रय उनके नाम एवं पत्नी के नाम पर किया गया है। जो सभी भूमि खाता संख्या-753, खेसरा संख्या-9523 की है।

भूमि क्रय की तिथि	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	रकवा
26.07.1993	धूरन साह	जगत नारायण ठाकुर	05 धूर 07 धूरकी
22.09.1994	अनन्त खाँ	जगत नारायण ठाकुर	15 धूर
08.12.1994	धूरन साह	जगत नारायण ठाकुर	01 धूर
28.06.1999	गणपति झा	जानकी देवी, पति-जगत ना0ठाकुर	06 धूर 05 धूरकी
07.12.2002	शत्रुधन साह	जगत नारायण ठाकुर	06 धूर 10 धूरकी
09.08.2011	कुमोद मिश्र	जानकी देवी, पति-जगत ना0ठाकुर	03 धूर
		कुल रकवा	01 कट्ठा 07 धूर 02 धूरकी

अपीलार्थी के विक्रेता दादा को खाता नं0-753, खेसरा-9523 में कुल 02 बीधा, 06 कट्ठा जमीन हासिल हुआ है, जिसमें से अनन्त खाँ को 15 धूर जमीन प्रतिवादी ने दिनांक 22.09.1994 को बेच दिया। उपरोक्त छः (06) केवाला में से विवादित जमीन खाता-753, खेसरा-9523, रकवा-15 धूर का जमाबंदी संख्या 4480 अंचलाधिकारी, कहरा द्वारा कायम हुआ है, जिसका कागजात बहस के दौरान दिखाया गया साथ ही उपरोक्त सभी छः (06) केवाला की छायाप्रति बहस के दौरान दिखाया गया। प्रश्नगत भूमि से कुछ जमीन विक्रेता द्वारा पी0 डब्लू0 डी0 सड़क में भी भू-अर्जन के दौरान दिया गया है। उपरोक्त छः (06) केवाला की भूमि जो एक ही खाता, प्लॉट में स्थित है, सम्पूर्ण रूप से अंचल अमीन के द्वारा मापी नहीं की गयी है। मात्र 15 धूर जमीन की मापी की गई है, जो साथ उसी खाता, प्लॉट में 19 धूर भी भूमि अमीन द्वारा मापी किया है तथा कुल जमीन 01 कट्ठा 14 धूर प्रतिवेदित है, जबकि प्रतिवादी का दावा 01 कट्ठा 07 धूर 02 धूरकी जमीन पर होता है। वस्तुतः उस भूमि का सीमांकण स्थल पर किया जाना चाहिए था। बहस के दौरान ग्राम कचहरी बनगाँव दक्षिणी का वाद संख्या-16/2011 को पारित आदेश दिनांक 20.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराया गया। जिसमें प्रतिवादी के नाम से 01 कट्ठा, 14 धूर जमीन ब्रिक्री करने का उल्लेख किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि में कोई कागजात नहीं दिया गया है। वस्तुतः उसी तिथि के पूर्व ही उपरोक्त सभी छः (06) केवाला की भूमि का क्रय किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी को भी इस पर विचार करना चाहिए था, साथ ही अंचल अमीन से भी प्रतिवादी द्वारा क्रय किये गये छः (06) केवाला के कुल भूमि, जो एक ही खाता-753, प्लॉट-9523 में स्थित है, उसका सीमांकण किया जाना चाहिए था, वस्तुतः विक्रेता का कुछ जमीन पी0 डब्लू0 डी0 सड़क में गया है। जिसका रकवा मात्र 23.5 डि0 बताया गया और उक्त भूमि भी इसी प्रासांगिक खाता, प्लॉट की भूमि है, जिसका सीमांकण होना भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदन में कुल रकवा 02 बीधा, 06 कट्ठा की चर्चा हुई है, जिसका 05 धूर 05 धूरकी अतिक्रमित है तथा 06 धूर 15 धूरकी पर ईंट रखा है तथा वर्ष 1995 के पश्चात् विपक्षी घर बनाये है। उनका यह भी कहना है कि पथ निर्माण विभाग में कुल भूमि 33.5 डि0 अधिग्रहित की गई है परन्तु अपने दावा के समर्थन में इनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रतिवादी के कुल 01 कट्ठा 07 धूर जमीन पर दखल-कब्ज प्रमाणित हुआ है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी का दखल दिया जाना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता है तथा इस हेतु यदि आवश्यक समझा जाय तो स्थानीय अंचलाधिकारी फिर से भी भूमि का सीमांकण कर स्थल पर ईंट-पत्थर बतौर

पीलर गड़वा कर इस झगड़े को सदा के लिए निस्तार करने की कार्रवाई करें। इस हेतु यह अपीलवाद स्वीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित पक्षकारों एवं अंचलाधिकारी, कहरा को निदेश दिया जाता है। छान-बीन से यह भी स्पष्ट हुआ कि इसमें कोई भी स्तत्व वाद संबंधी मामले अभी तक नहीं लाया गया है। तद्नुसार इस अभिलेख की कार्यवाही निस्तारित किया जाता है तथा इस हद तक निम्न न्यायालय का आदेश संशोधित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.8.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।